क्रम-संख्या-60

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मार्च, 2013

चैत्र 7, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 330/79-वि-1-13-1(क)-9-2012

लखनऊ, 28 मार्च, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर दिनांक 26 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2013) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अधिनियम, 2008 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह 31 अक्टूबर, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 2008 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अधिनियम, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, सन् 2012 का निरसन

3–उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

राज्य के भीतर जल संसाधन को विनियमित करने, राज्य के पर्यावरणीय, आर्थिक दृष्टि से पोषणीय विकास के लिए जल संसाधन को सुगम बनाने और विवेकपूर्ण, साम्यापूर्ण और पोषणीय प्रबन्धन, आवंटन एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने, कृषि, औद्योगिक, पेय, विद्युत और अन्य प्रयोजनों के लिए जल के उपयोग के लिए दरें और राज्य की जल नीति के अनुसार उपयुक्त नियामक उपकरणों के माध्यम से लाभान्वित भू–स्वामियों से बाढ़ रक्षा और जल निकास संकर्म से लाभान्वित भूमि पर उपकर नियत करने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 2008) अधिनियमित किया गया था। उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग की स्थापना के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन बनाई गई कार्यसंचालन नियमावली तथा कार्य बंटवारा नियमावली के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निहित है, अतः उक्त आयोग के कार्यों का संचालन होने पर जल से जुड़े विभागों के कार्यों के साथ अतिव्याप्ति (ओवरलैपिंग) की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उक्त आयोग की स्थापना के उपरान्त यह पाया गया कि आयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति और अपने कार्यकलापों के निर्वहन में अपेक्षित प्रगति करने में असमर्थ है तथा उसके कार्य से राज्य सरकार के अन्य विभागों के कार्यों में हस्तक्षेप हो रहा है। अतः यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, सन् 2012) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 330(2)/LXXIX-V-1–13-1(Ka)-9-2012
Dated Lucknow, March 28, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Prabandhan Aur Niyamak Ayog (Nirsan) Adhiniyam, 2012 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 26, 2013.

THE UTTAR PRADESH WATER MANAGEMENT AND REGULATORY COMMISSION (REPEAL) ACT, 2012

(U.P. ACT NO. 8 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission Act, 2008.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission (Repeal) Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 31, 2012.

Repeal of U.P. Act no. 26 of 2008

2. The Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission Act, 2008 is hereby repealed.

Repeal of U.P. Ordinance no. 9 of 2012

3. The Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission (Repeal) Ordinance, 2012 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission Act, 2008 (U.P. Act no. 26 of 2008) was enacted to provide for the establishment of the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory commission to regulate water resources within the State, facilitate and ensure judicious, equitable and sustainable, management, allocation and optimal utilization of water resources for environmentally, economically sustainable development of the State, fix the rates for water use for agriculture, industrial, drinking, power and other purposes and cess on lands benefited by flood protection and drainage works from the owners of lands benefited through appropriate regulatory instruments according to State Water Policy and matters connected therewith or incidental thereto. After the establishment of the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission it was felt that since in accordance with the conduct of business rules and the distribution of works rules made under Article 166 of the Constitution of India the executive powers of the State are vested in various department of the State Government the works being done by the said commission there remains possibility of overlapping with the works of the departments connected with water. Besides after the establishment of the said commission it was found that the commission is unable to make required progress in the fulfillment of its objects and discharge of its functions and its work interfere the works of the other departments of the State Government. It was, therefore, decided to repeal the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary, the Uttar Pradesh Water Management and Regulatory Commission (Repeal) Ordinance, 2012 (U.P. Ordinance no. 9 of 2012) was promulgated by the Governor on October 31, 2012.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S.K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 816 राजपत्र (हिन्दी)-2013-(3611)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 112 सा0 विधायी-2013-(3612)-500 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या—167

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एंस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 24 जून, 2013
आषाढ़ 3, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 448/79-वि-1–13-1(क)9-2012
लखनऊ, 24 जून, 2013

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

विधायी अनुभाग–1 की दिनांक 28 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या-330/79-वि-1–13–1(क)-9-2012 द्वारा उसी दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–1, खण्ड (क) में क्रमशः हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2013) के अंग्रेजी पाठ में शीर्ष शीर्षक की चतुर्थ पंक्ति में कोष्ठक तथा शब्द "(As Passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)" के स्थान पर कोष्ठक तथा शब्द "(As Passed by the Uttar Pradesh Legislature)" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,
एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 212 राजपत्र (हि०)–2013–(431) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 15 सा0 विधा0–2013–(432)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।